400

संख्याः 1404/VII-2/15/124–एम0एस0एम0ई0/2013

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
प्रमुख सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक उद्योग,
उद्योग निदेशालय,
पटेल नगर, देहरादून।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग — देहरादूनः दिनांकः 21 अगस्त, 2015

विषयः– वित्तीय वर्ष, 2015–16 में अनुदान संख्या–23 के अंतर्गत "दूरस्थ क्षेत्रों के लिये विशेष राज्य पूंजी उपादान सहायता" योजनान्तर्गत आयोजनागत मद में वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय पत्रांकः–1034/उ0नि0/11/बजट मांग/2015–16 दिनांक 09.06.2015 एवं पत्रांकः–1457/उ0नि0/11/बजट मांग/2015–16 दिनांक 07.07.2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः–400/XXVII(1)/2015 दिनांक 01.04.2015 के संदर्भ में एवं शासनादेश संख्याः–794/VII-2-15/124–एम0एस0एम0ई0/2013 दिनांक 29.05.2015 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015–16 में **"दूरस्थ क्षेत्रों के लिये विशेष राज्य पूंजी उपादान सहायता योजना"** के अंतर्गत प्राविधानित **धनराशि रू0 10.00 करोड़ में से अवशेष धनराशि रू0 5.00 करोड़ (रूपये पांच करोड़ मात्र) संलग्न अलाटमेंट आई0डी0 संख्या S1508230114 दिनांक 21 अगस्त, 2015** के अनुसार निम्न शर्तों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(i) आहरण वितरण अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का मासिक व्यय विवरण बी0एम0–8 के प्रपत्र पर रखा जायेगा, और पूर्व के माह का व्यय विवरण उक्त अधिकारी द्वारा अनुवर्ती माह की 5 तारीख तक उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी को बजट मैनुअल के अध्याय–13 के प्रस्तर–116 की व्यवस्थानुसार प्रेषित किया जायेगा, एवं प्रस्तर–128 की व्यवस्थानुसार उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी द्वारा पूर्ववर्ती माह का संगत व्यय विवरण अनुवर्ती माह की 25 तारीख तक वित्त विभाग को प्रेषित किया जायेगा, तथा नियमित रूप से यदि सरकार/शासन को उक्त विवरण प्रेषित नहीं किया जाता है तो उत्तरदायी अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु सक्षम स्तर को अवगत कराया जायेगा।

(ii) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय मासिक आधार पर किश्तों में वास्तविक व्यय आवश्यकता के अनुरूप ही किया जायेगा एवं अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक धनराशि कदापि व्यय नहीं की जायेगी।

(iii) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः–400/XXVII(1)/2015 दिनांक 01.04.2015 में इंगित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन किया जायेगा।

(iv) स्वीकृत धनराशि का दिनांक 31 मार्च, 2016 तक पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा। यदि उक्त तिथि तक कोई धनराशि अवशेष रहती है तो उस धनराशि को उक्त तिथि तक शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।

(v) व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। इस संबंध में समय–समय पर जारी शासनादेशों/अन्य आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। व्यय मात्र उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिन मदों में

धनराशि स्वीकृत की जा रही है। यह आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने में बजट मैनुअल/वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों का उल्लंघन होता हो। धनराशि व्यय के उपरांत व्यय की गई धनराशि का मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रपत्र पर नियमित रूप से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

3. **"दूरस्थ क्षेत्रों के लिये विशेष राज्य पूंजी उपादान सहायता नामक योजना"** के अंतर्गत स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष, 2015–16 की अनुदान संख्या–23 के लेखाशीर्षक 2851–ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग–00– आयोजनागत, 102–लघु उद्योग, 23–दूरस्थ क्षेत्रों के लिये विशेष राज्य पूंजी उपादान सहायता की मानक मद, 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के अशा0 संख्या:–354/XXVII(2)/2015 दिनांक 14 अगस्त, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

संलग्नक:–ॲलाटमेंट आई0डी0 संख्या S1508230114 दिनांक 21 अगस्त, 2015

भवदीया,

(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 1404/VII-2-15/124–एम0एस0एम0ई0/2013, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओवराय विल्डिंग माजरा, देहरादून।
2. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
3. निदेशक, वित्त एवं कोषागार सेवायें, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
4. समस्त मुख्य कोष अधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
6. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, देहरादून।
7. मुख्य निवेश आयुक्त उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
8. गार्ड–फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 आर0 राजेश कुमार)
अपर सचिव।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20152016

Secretary, Small & Medium Scale Industry (S066)

संख्या - .

संख्या - 023

अलोटमेंट आई डी - S1508230114

HOD Name - Director Industries (2052)

आवंटन पत्र दिनांक -21-Aug-2015

लेखा शीर्षक 2851 - ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग

102 - लघु उद्योग

00 -

00 - दूरस्थ क्षेत्रों के लिए विशेष राज्यपूँजी उपादान सहाय

23 - दूरस्थ क्षेत्रों के लिए विशेष राज्यपूँजी उपादान सहा

Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
20 - सहायक अनुदान/अंशदान/राज	50000000	50000000	100000000
	50000000	**50000000**	**100000000**

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 50000000